विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/211 दिनांक :- 06-02-2021

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.01.2021 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.01.2021 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/212 **दिनांक :- 06-02-2021**

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

Desktop/P.Meeting 19/369

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अकादमिक/सम्मिलन/2021/165 दिनांक :02/02/2021

कार्यपरिषद्
की
बैठक की कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि : 22 जनवरी 2021
समय :अपरान्ह 12:00 बजे

:: उपस्थिति ::

01.	प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. दीपक गुप्ता	सदस्य
03.	डॉ. पी.के.वर्मा	सदस्य
04.	डॉ. दिनेश कुमार सोनी	सदस्य
05.	डॉ. प्रतिभा कोठारी	सदस्य
06.	डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन	सदस्य
07.	डॉ. गोविन्द गन्धे	सदस्य
08.	डॉ. जे.पी. चौरसिया	सदस्य
09.	श्री राघवेन्द्र पाल सिंह यादव	सदस्य
10.	श्री राजेश सिंह कुशवाह	सदस्य
11.	श्री सचिन दवे	सदस्य
12.	सुश्री ममता बेंडवाल	सदस्य
13.	श्रीमती कुसुमलता निंगवाल	सदस्य
14.	डॉ.विनोद यादव	सदस्य
15.	प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक प्रांरभ करने के पूर्व माननीय कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद के समस्त नवागत सदस्यों का स्वागत किया गया एवं आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। सभी सदस्यों की तरफ से डॉ. विनोद यादव द्वारा माननीय कुलाधिपतिजी महोदया एवं माननीय मंत्री उच्च शिक्षा को कार्यपरिषद् में नामांकन हेतु आभार व्यक्त किया गया, और विश्वविद्यालय के उन्नयन में कार्य करने का संकल्प लिया।

विषय क्रं.1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.09.2020 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.09.2020 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.2- विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.09.2020, 07.10.2020, 10.11.2020, 26.11.2020 एवं 05.12.2020 कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.09.2020,

07.10.2020, 10.11.2020, 26.11.2020 एवं 05.12.2020 कार्यविवरणों की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.3– विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 12.11.2020, 05.12.2020 एवं 01.01.2021 के कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 12.11.2020, 05.12.2020 एवं 01.01.2021 के कार्यविवरणों की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन – विकास विभाग)

विषय क्रं.4– शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन – गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.5– विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा आयोजित किये जाने वाले 24 वे दीक्षांत समारोह के आयोजन पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, राज भवन से प्राप्त पत्र क्र. एफ–21–2/2007/रा.स./यू.ए.1/41 दिनांक 15 जनवरी 2021 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलाधिपतिजी, महोदया द्वारा विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु दिनांक 20.02.2021 निश्चित की गई है। कार्यपरिषरद द्वारा सूचना ग्राह्य की गई, एवं साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि समारोह को गरिमामय आयोजित करने हेतु देश,प्रदेश प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये। **(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.6– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र क्रमांक D.O.No.F.1-1/2018 (Journal/CARE) दिसम्बर 2019 के तारतम्य में पीएच.डी. शोधार्थियों के लिये publication ethics and publication misconducts शीर्षक "Research and Publication Ethics" (RPE) के अतंर्गत 2 क्रेडिट के पाठ्यक्रम को कोर्स वर्क पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर पीएच.डी. अध्यादेश 11 के विद्यमान प्रावधान में संशोधन पर गठित समिति का कार्यविवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, पीएच.डी. अध्यादेश 11 के विद्यमान प्रावधान में संशोधन समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। **(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.7– मध्यप्रदेश माध्यम,भोपाल से प्राप्त देयकों के भुगतान पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल से प्राप्त देयक क्रमांक No.MPM/Ad.Agency/Bill No. 97652 Date 05/12/2019 द्वारा प्राप्त देयक Rs.6,32,830.00 (छः लाख बत्तीस हजार आठ सौ तीस रूपये मात्र) एवं क्रमांक/विज्ञापन/2020 भेपाल,द्वारा प्राप्त देयक Rs.8,71,920.00 (आठ लाख इकहत्तर हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन – लेखा विभाग)**

विषय क्रं.8– विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न्न संस्थाओं एवं अन्य विश्विविद्यालयों {01.Shri Krishna University,Chatarpur, 02.IIMT University,Meerut, 03.Mansarovar Global University,Sehore, 04.Madhyanchal Professional University,Bhopal, 05.Institute of Company Seretaries of India(ICSI),New Delhi, 06.Bhartiya Shikshan Mandal,Malwa Prant,Ujjain, 07.ITM University,Gwalior,08.Swami Vivekanand University,Sagar } के मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षरार्थ उपरांत कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, Bhartiya Shikshan Mandal,Malwa Prant,Ujjain, को छोड़कर शेष उक्त समझोते के आलेख (MOU) पर हस्ताक्षर की सूचना ग्राह्य की गई, एवं मान्य किया गया। **(क्रियान्वयन – विकास विभाग)**

विषय क्रं.9 – सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय,उज्जैन में परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य पद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 03.01.2009 एवं महाविद्यालय द्वारा आयोजित शासीनिकाय की बैठक दिनांक 06.09.2009 में अनुमोदन उपरांत डॉ.(श्रीमती) स्मिता भवालकर का चयन मान्य किया गया, एतद् सूचनार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय,उज्जैन में परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य पद चयनित डॉ.(श्रीमती) स्मिता भवालकर के चयन की सूचना ग्राह्य की गई। **(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.10 – शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार। (विस्तृत टीप पटल पर प्रस्तुत की जायेगी)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, कार्यपरिषद ने सम्पूर्ण सम्बंधित समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया, पूर्ण विंचारोपरांत एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर के द्वारा याचिका क्रमांक.W.P.No.5801,5802,5804,5805/2016 W.P.No.25554/2018 एवं W.P.No.5901/2013 तथा रिट अपील W.A.No.131,128,129,130,1633/2019 अन्तर्गत न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये आदेश के परिपालन में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.09.2020 के द्वारा याचिकाकर्ता शिक्षकों के स्थायीकरण बाबत् प्रदान किये गये आदेश का संज्ञान लिया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं पर प्रदान किये गये आदेश के आलोक में ऐसे शिक्षकगण जिनके कोई भी प्रकरण न्यायालय में लंबित नही है, अथवा ऐसे शिक्षक जिनके संबंध में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में विश्वविद्यालय स्वयं याचिकाकर्ता एवं सीधे प्रथम प्रतिवादी नही है, ऐसे शिक्षकगणों का स्थायीकरण किया जावें।

तदानुसार निम्न शिक्षकगणों के चयनित पद पर स्थायीकरण का निर्णय लिया गया :-

1. डॉ. अलका व्यास,	2. डॉ. डी.एम. कुमावत,
3. डॉ. बी.के. आंजना,	4. डॉ. शीतांशु रथ,
5. डॉ. रूबल वर्मा,	6. डॉ. धीरेन्द्र सोलंकी,
7. डॉ. कमलेश दशोरा,	8. डॉ. संदीप तिवारी,
9. डॉ.राजेश टेलर,	10. डॉ. प्रतिष्ठा शर्मा,
11.डॉ. मेघा पाण्डे,	12. डॉ.ज्योति उपाध्याय,

(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.11 – म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रं./एफ–1–2/2018/38–3 भोपाल,दिनांक 22.11.2020 एवं संशोधित आदेश क्रं./एफ–1–2/2018/38–3 भोपाल, दिनांक 23.12.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय के गैर शिक्षकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को सातवें वेतनमान के एरियर का लाभ प्रदान करने के संबंध में कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

टिप्पणी :– उपरोक्त विषय में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रं./एफ–1–2/2018/38–3 भोपाल,दिनांक 22.11.2020 एवं संशोधित आदेश क्रं./एफ–1–2/2018/38–3 भोपाल,दिनांक 23.12.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्त विभाग के परिपत्र दि.6.4.2018 के अनुसार सांतवा वेतनमान के नगद लाभ दिनांक 01.04.2018 से प्रदान किया गया है।

उक्त आदेश के अनुक्रम में विश्वविद्यालयों को उनके गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियाको सातवें वेतनमान के एरियर का लाभ प्रदान करने हेतु सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

(1) एरियर के भुगतान के फलस्वरूप आने वाले वित्तीय भार का विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

(2) विश्वविद्यालय अपने सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमति एवं वित्तीय संसाधनों का आकलन करते हुए अपने स्त्रोंतों से दिनांक 1.1.2016 से 31.03.2018 तक वास्तविक एरियर के भुगतान के आदेश प्रदान किए गए है।

उक्त आदेश के परिपालन में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1.1.2016 से 31.03.2018 तक सातवें वेतनमान का वास्तविक एरियर प्रदान करने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रं./एफ–1–2/2018/38–3 भोपाल,दिनांक 22.11.2020 एवं संशोधित आदेश क्रं./एफ–1–2/2018/38–3 भोपाल, दिनांक 23.12.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय के गैर शिक्षकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को सातवें वेतनमान के एरियर का लाभ तदनुसार प्रदान किया जाये। **(क्रियान्वयन प्रशासन/लेखा विभाग)**

विषय क्रं.12 – दीक्षांत समारोह में प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण पदक हेतु गठित समिति के अभ्यावेदन पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,दीक्षांत समारोह में प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण पदक हेतु गठित समिति की अनुशंसा निम्नानुसार प्राप्त हुई है :–

पूर्व वर्षों में स्वर्ण पदकों की संख्या जिसमें दान दाताओं द्वारा 31 पदक प्रतिवर्ष दिये जाते थे, उक्त पदकों के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय में स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष अतिरिक्त दिये जाने का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2017, द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों के कारण जमा राशि से प्राप्त ब्याज राशि अत्यंत अल्प होने तथा स्वर्ण व रजत धातुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालय पर भारित व्यय बहुत अधिक होने की संभावना

हैं। ऐसी स्थिति में पदकों के निमार्ण पर विचार हेतु गठित समिति निम्नलिखित अनुशंसा करती है :-

नवीन पदकों के निमार्ण हेतु विवरण :-

01. 39 एम.एम.डायमीटर
02. 20 ग्राम कॉपर
03. 200 मि.ग्रा. गोल्ड पॉलिश (नाम, सत्र, विश्वविद्यालय का चिन्ह, उपाधि विवरण सहित)

उक्त प्रकार के पदकों का निर्माण करवाये जाने तथा अर्हताकारी विद्यार्थियों को प्रदान करने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है।

गठित समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई।**(क्रियान्वयन - भण्डार विभाग)**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

विषय क्रं.1- विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.01.2021,कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.01. 2021,कार्य विवरण की पुष्टि की गई।

विषय क्रं.2 उपाधि मुद्रण कार्य हेतु प्राप्त ई-निविदा पर विचार।

टिप्पणी - टेंडर/तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 09.10.2020 के अनुशंसानुसार उच्च क्रय समिति के समक्ष वित्तीय निविदा खोलने हेतु भंडार विभाग द्वारा निम्न फर्मो :-

1. आफसेट प्रिंटिंग हाउस, सतना।
2. सस्थी इन्फोटेक, गाजियाबाद, उ0प्र0।
3. सिक्युरिटी प्रिंटर्स ऑफ इंडिया, प्रा. लि. कानपुर उ0प्र0।

के भाव पत्र (फायनेन्सियल बिड) प्रस्तुत किये गये। भाव पत्रों का तुलनात्मक पत्रक उच्च क्रय समिति द्वारा तैयार किया गया। समिति ने पाया कि मेसर्स फर्म सिक्युरिटी प्रिंटर्स ऑफ इंडिया प्रा. लि. कानपुर (उ0प्र0) आयटम क्रमांक 1 (सामग्री सहित कम्प्यूटराइज्ड डिग्री डाटा मुद्रण सहित) न्युनतम दर रूपये 24/- (अक्षरी रूपये चौबिस मात्र) आयटम क्रंमाक 2(सामग्री सहित डिग्री फॉरमेट डाटा विहीन सहित) हेतु न्युनतम दर रूपये 13/- (अक्षरी रूपये तेरह मात्र) आयटम क्रंमाक 3 (डिग्री लिफाफा प्रति नग) हेतु न्युनतम दर रूपये 3.50/- (अक्षरी तीन रूपये पचास पैसा मात्र) की दर न्यूनतम कोट किया गया है। मेसर्स सिक्युरिटी प्रिंटर्स ऑफ इंडिया, प्रा. लि. कानपुर उ0प्र0 को कायदिश देने के पूर्व अनुबंध टेंडर की सभी शर्तो के अनुरूप सम्पादित करें तथा उक्त संस्था पूर्व से विश्वविद्यालय में कार्यरत है अतः कार्यक्षमता तथा गुणवता का परीक्षण किया जाकर कायदिश प्रदाय की अनुंशसा करती है। (दिनांक 09.10.2020 को आयोजित क्रय समिति के कार्यविवरण संलग्न है।)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, उच्च क्रय समिति के निर्णय को यथावत् मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन - भण्डार/उपाधि विभाग)

विषय क्रं.3 श्री राजराजेन्द्र सूरि शिक्षा महाविद्यालय,उज्जैन में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति से प्राप्त अनुशंसा पर अनुमोदन हेतु विचार।

टिप्पणी :- श्री राजराजेन्द्र सूरि शिक्षा महाविद्यालय,उज्जैन में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु कुलपतिजी द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 02/01/2021 एवं महाविद्यालय निदेशक से प्राप्त पत्र क्र.251 दिनांक 18.01.2021 से प्राप्त अनुशंसा अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री राजराजेन्द्र सूरि शिक्षा महाविद्यालय,उज्जैन में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पदपर चयन हेतु गठित चयन समिति से एवं महाविद्यालय के शासीनिकाय से प्राप्त अनुशंसानुसार डॉ. (श्रीमती) विद्या दिलीप जोशी को प्राचार्य के पद हेतु मान्य किया गया । **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.4 विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.01.2021 के विषय क्रमांक 11 में लिये गये निर्णय अनुसार स्कूल ऑफ इंजीनीयरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से प्राप्त एम.टेक. पाठ्यक्रम के अध्यादेश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.01.2021 के विषय क्रमांक 11 में लिये गये निर्णय अनुसार स्कूल ऑफ इंजीनीयरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से प्राप्त एम.टेक. पाठ्यक्रम के अध्यादेश को समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.5 विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.01.2021 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विषय क्रमांक 01 में लिये गये निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश के परम्परागत विश्वविद्यालयों में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत परिनियम 8,10 एवं अध्यादेश क्रमांक 3 में कृषि संकाय सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत कृषि संकाय को परिनियम 8,10 एवं अध्यादेश क्रमांक 3 में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.6 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दैनिक वेतन दरों की वृद्धि करने के संबंध में सूचनार्थ ।

टिप्पणी :- उपरोक्त विषय में कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक वित्त-3/2019/7929 उज्जैन, दिनांक 04.11.2020 के अनुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं देनिक वेतन की दरें 1.10.2020 से 31.3.2021 तक निर्धारित की गई है। उक्त आदेश के परिपालन

में विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिनांक 1.10.2020 से 31.3.2021 तक प्रदान की जाने वाली अधिकतम दर निर्धारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2020/4303, दि. 22.12.2020 प्रसारित किया गया है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दैनिक वेतन दरों की वृद्धि करने के संबंध में सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.7 डॉ.एस.के मिश्रा, उपाचार्य, अर्थशास्त्र अ.शा., विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की पूर्व सेवा पेंशन प्रयोजन हेतु सम्मिलित किए जाने हेतु प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी :- उपरोक्त विषय में प्रस्तुत है कि डॉ. एस.के. मिश्रा को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के आदेश क्रं./प्रशा./संस्था/2007/1984 दिनांक 23.11.2007 के द्वारा उपाचार्य,अर्थशास्त्र अ.शा. के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। डॉ. एस.के.मिश्रा द्वारा दिनांक 15.12.2007 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गयी।

डॉ. एस.के. मिश्रा पूर्व में सहायक प्रध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. पद पर दिनांक 15.04.1995 से दिनांक 27.11.2006 तक तथा दिनांक 28.11.2006 से 14.12.2007 तक व्याख्याता, आर.पी.ई.जी. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में कार्यरत थे। डॉ. एस.के. मिश्रा को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से दिनांक 14.12.2007 को अपरान्ह से उपाचार्य, अर्थशास्त्र अ.शा. के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया गया।डॉ. एस.के. मिश्रा की पूर्व की सेवा सहायक प्रध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. पद पर दिनांक 15.04.1995 से दिनांक 27.11.2006 तक तथा दिनांक 28.11.2006 से 14.12.2007 तक व्याख्याता, आर.पी.ई.जी. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल तक की सेवा सेवाऐ पेंशन प्रयोजन हेतु जोडने हेतु निवेदन किया है।

अतः उक्तानुसार पूर्व सेवा जोडने की अनुमति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,डॉ. एस.के. मिश्रा की पूर्व की सेवा सहायक प्रध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. पद पर दिनांक 15.04.1995 से दिनांक 27.11.2006 तक तथा दिनांक 28.11.2006 से 14.12.2007 तक व्याख्याता, आर.पी.ई.जी. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल तक की सेवा सेवाऐ पेंशन प्रयोजन हेतु जोडने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.8 विश्वविद्यालय द्वारा RESEARCH FOR RESURGENCE FOUNDATION, NAGPUR संस्था के मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षरार्थ उपरांत कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विश्वविद्यालय द्वारा RESEARCH FOR RESURGENCE FOUNDATION, NAGPUR संस्था के मध्य समझोते के आलेख (MOU) पर हस्ताक्षर की सूचना ग्राह्य की गई एवं कृत कार्यवाही मान्य की गई। **(क्रियान्वयन - विकास विभाग)**

विषय क्रं.9 राजनीति विज्ञान में डॉ. राजीव सक्सेना को डी.लिट् उपाधि प्रदान करने संबंधी कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,राजनीति विज्ञान में डॉ. राजीव सक्सेना को डी.लिट् उपाधि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन – गोपनीय विभाग)**

विषय क्रं.10 महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति की स्थापना करने संबंधी कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति की स्थापना किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन – यांत्रिकी विभाग)**

विषय क्रं.11 प्रा.भा.इं.संस्कृति एवं पुरातत्व अ.शा.विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर के मध्य समझोते के आलेख पर अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,प्रा.भा.इं.संस्कृति एवं पुरातत्व अ.शा.विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर के मध्य समझोते के आलेख किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन – विकास विभाग)

विषय क्रं.12 सी.ए.एस. के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापकों को प्रथम स्तर से द्वितीय स्तर उन्नयन वेतनमान प्रदान करने के संबंध में विचार।

टिप्पणी :- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2020/4272 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा सी.ए.एस. के अन्तर्गत विश्वविद्यालयीन व्याख्याता/सहायकप्रध्यापकों के पद पर कार्यरत शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं मापदण्ड अनुसार प्रथम स्तर से द्वितीय स्तर उन्नयन वेतनमान प्रदान करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा 05 सदस्यी समिति का गठन किया गया है।
उक्त समिति की बैठक दिनांक 20.01.2021 को आयोजित की गई है। उक्त समिति के द्वारा बन्द लिफाफे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,समिति द्वारा 7 पृष्ठीय विस्तृत प्रतिवेदन के अन्त में अनुशंसात्मक टीप प्रस्तुत की है, तदानुसार कार्यपरिषद ने समिति द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रतिवेदन का संज्ञान लिया गया। समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 02 के अनुसार व्याख्याता, सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शाय गयी तिथि से AGP स्टेज 01 से स्टेज 02 प्रदान करने बाबद् पात्रता निर्धारित करते हुये अर्हताकारी शिक्षकों हेतु तिथि को मान्य कर AGP स्टेज 01 स्टेज 02 प्रदान करने की पूर्व समिति के नियमों को यथावत् मान्य करने की अनुशंसा की गई है।
समिति द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार अनुशंसा टीप प्रदान की गई :-
विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग कम सेलेक्शन कमिटी द्वारा निम्नलिखित 16 व्याख्याताओं/सहायक प्राध्यापकों को एजीपी स्टेज 1 से स्टेज 2 प्रदान करने के संबंध में किये गये परीक्षण एवं मूल्याकन के आधार पर निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी।

क्रम संख्या	व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक का नाम	व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के विभाग का नाम	एजीपी स्टेज 1 से स्टेज 2 प्रदाल करने हेतु अनुशंसित पात्रता तिथि/अन्य अनुशंसाएँ
1	डॉ. नलिन सिंह पंवार	राजनीति विज्ञान अ.शा.	23.11.2011
2	डॉ. मेघा पाण्डे	राजनीति विज्ञान अ.शा.	17.03.2012
3	डॉ. वीरेन्द्र चावरे	राजनीति विज्ञान अ.शा.	23.11.2011
4	डॉ. विश्वजीत सिंह परमार	प्र ा.भा.ई.	23.11.2011
5	डॉ. दर्शन दुबे	फार्मेसी संस्थान	22.12.2012
6	डॉ. प्रीति दास	माइक्रोबायोलोजी अ.शा.	24.02.2013
7	डॉ. संग्राम भूषण	अर्थशास्त्र अ.शा.	26.11.2011
8	डॉ. कमल बुनकर	कम्प्यूटर साइंस	23.11.2012
9	डॉ. निश्चल यादव	भौतिक अ.शा.	23.11.2011
10	डॉ. गणपत अहिरवार	भौतिक अ.शा.	23.11.2011
11	डॉ. सलिल सिंह	प्राणिकी अ.शा.	29.11.2013
12	डॉ. कानिया मेझा	राजनीति विज्ञान अ.शा.	Shall be eligible on the date of completion of Refesher Course.
13	डॉ. मनु गोराहा	स्माजशास्त्र अ.शा.	Shall be eligible on the date of completion of Refesher Course.
14	डॉ. आर. शास्त्री मूसलगाँवकर	ज्योतिर्विज्ञान अ.शा.	Shall be eligible on the date of completion of Refesher Course.
15	डॉ. नयनतार डामोर	पं.ज.ने.व्य..प्रबंध संस्थान	Not eligible
16	डॉ. राज बोरिया	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अ.शा.	23.11.2012

समिति द्वारा डॉ.कानिया मेड़ा, डॉ.मनु गोराहा, डॉ. आर.शास्त्री मूसलगाँकर, डॉ.नयनतारा डामोर के संबंध में पृथक-पृथक निम्नानुसार अनुशंसा प्रस्तुत की गई है।
जिसके अनुसार :-

01. डॉ. कानिया मेड़ा

डॉ. कानिया मेड़ा ने एक orientation पाठ्यक्रम गोवा विश्वविद्यालय गोवा से दिनांक 29.03.2010 से 27.04.2010 तक पूर्ण किया है। उनके द्वारा मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन द्वारा दिनांक 09-18 सितंबर 2008 को Research Methodology on Social Science विषय पर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया है। यूजीसी (पत्र क्रमांक F.No.2-16/2002(PS)Pt.F.I.II दिनांक 16 अक्टूम्बर 2018) द्वारा Career Advancement Scheme के अंतर्गत promotion हेतु orientation/Refresher Course पूर्ण करने की अवधि में वृद्धि काते हुये दिनांक 31.12.2018 तक पूर्ण करने की अनुमति दी है। अतः डॉ. कानिया मेड़ा को उनकी पात्रता दिनांक से AGP Stage 1 से Stage 2 प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

02. डॉ. मनु गोराहा

डॉ. मनु गोराहा ने एक orientation एवं एक refresher पाठ्यक्रम दिनांक 31.12.2018 के पूर्व सम्पन्न किया है। यूजीसी (पत्र क्रमांक F.No.2-16/2002(PS)Pt.F.I.II दिनांक 16 अक्टूम्बर 2018) द्वारा Career Advancement Scheme के अंतर्गत promotion हेतु orientation/Refresher Course पूर्ण करने की अवधि में वृद्धि काते हुये दिनांक 31.12.2018 तक पूर्ण करने की अनुमति दी है। अतः डॉ. मनु गोराहा को उनकी पात्रता दिनांक से AGP Stage 1 से Stage 2 प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

03. डॉ. आर.शास्त्री मूसलगाँवकर

यूजीसी (पत्र क्रमांक No.F.2-9/97 (PS) दिनांक 17 मई 2001) द्वारा Career Advancement Scheme के अंतर्गत promotion हेतु Ph.D. योग्यताधारी आवेदकों को orientation अथवा Refresher Course में से किसी एक से छूट की पात्रता प्रदान की गई है। डॉ. आर.शास्त्री मूसलगाँवकर ने PhD की उपाधि दिनांक 31.12.2018 के पूर्व प्राप्त की है एवं उन्होने UGC- Academic Staff College, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore द्वारा दिनांक 02.07.2010 से 29.07.2010 तक आयोजित orientation पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। अतः डॉ. आर.शास्त्री मूसलगाँवकर को उनकी पात्रता दिनांक से AGP Stage 1 से Stage 2 प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

04. डॉ. नयन तारा डामोर

डॉ. नयन तारा डामोर के प्रकरण में समिति अनुशंसा करती है कि UGC द्वारा निर्धारित नियमानुसार नवीन Screening Committee गठित कर उसकी अनुशंसा अनुसार आगामी कार्यवाही सम्पन्न की जाये।

गठित समिति द्वारा डॉ. कानिया मेड़ा, डॉ. मनु गोराहा, डॉ. आर.शास्त्री मूसलगाँवकर,

डॉ. नयन तारा डामोर के बारे में उपरोक्तानुसार अनुशंसा करते हुये **"तत्कालीन कुलपतिजी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 03.09.2014 द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पन्न किये जाने को मान्य करते हुये प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।"**

अतः निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार गठित समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुये, डॉ. नयन तारा डामोर को छोड़कर उक्त अन्य शिक्षकगणों को समिति की अनुशंसा अनुसार AGP Stage 1 से Stage 2 की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.13 अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु समिति के गठन करने के संबंध में विचार।

टिप्पणी :– विश्वविद्यालयकी वर्ष 2020–2021 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रमांक–05 के कंडिका क्रमांक 21 (7–ए) के प्रावधान के अनुसार कार्यपरिषद द्वारा समिति का गठन एक वर्ष के लिये किया जाना हैं वर्ष 2019–2020 की परीक्षा हेतु कार्यपरिषद द्वारा गठित अनुचित साधन प्रकरण समिति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। उपर्युक्त प्रकरण में तत्काल कुलपति महोदय द्वारा नई समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है:–

1.शिक्षक सदस्य	– एक	– प्रो.पी.के.वर्मा,भौमिकी अ.शा.वि.वि., उज्जैन।
2.संकायाध्यक्षों में से	– एक	– डॉ.दीपक गुप्ता,पं.ज.ने.व्य.प्र.संस्थान,वि.वि.,उज्जैन।
3.विद्यापरिषद के शिक्षक सदस्यों में से		– एक– प्रो.शुभा जैन,रसायन अ.शा. वि.वि., उज्जैन।
4.प्राचार्य सदस्य	– एक	– डॉ.एस.एन.शर्मा,शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन।
5.कुलसचिव		– पदेन

उक्त समिति के अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,विश्वविद्यालयकी वर्ष 2020–2021 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रमांक–05 के कंडिका क्रमांक 21 (7–ए) के प्रावधान के अनुसार कार्यपरिषद द्वारा समिति का गठन एक वर्ष के लिये किया जाना मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन – गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.14 <u>विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला परिचारकों को प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों पर पदोन्नत् किये जाने हेतु उच्चशिक्षा विभाग, संचालनालय, भोपाल म.प्र. का क्रं./4027/आउशि/संस्था./88 भोपाल दिनांक 28.09.1988 एवं उच्चशिक्षा विभाग, संचालनालय, भोपाल का पत्र क्रं./2564/0262/38–2/91 भोपाल, दिनांक 19.06.1991 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।</u>

<u>टिप्पणी</u> :– विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु म.प्र. अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा भर्ती तथा पदोन्नति वर्ष 1974 में तकनीकी कर्मचारियों के लिये किये गये

प्रावधान को ग्राह्य करने पर प्रस्ताव कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.07.2017 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी परिनियम में संशोधन का प्रस्ताव समन्वय समिति को प्रेषित किया जाय। उक्त कार्यपरिषद् के निणर्य के परिपालन में विश्वविद्यालय का पत्र क्रं./प्रशा./संस्था./2017/1286, दिनांक 05.09.2017 के द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उच्चशिक्षा विभाग, भोपाल को प्रस्ताव समन्वय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। विश्वविद्यालय समन्वय समिति 98 की बैठक हेतु स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2020 में विश्वविद्यालय के संबंध में विषय क्रं./16 के बिन्दु क्रं./11 पर परिनियम 31 पर चर्चा उपरांत अनुशंसा की गई कि, विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण कार्यपरिषद् में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु रखा जाना चाहिए।

उक्त संदर्भ में प्रस्तुत है कि प्रयोगशाला परिचारकों को प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों पर पदोन्नत् किये जाने हेतु उच्चशिक्षा विभाग, संचालनालय, भोपाल के पत्र क्रं./4027/आउशि/संस्था./88 भोपाल, दिनांक 28.09.1988 एवं उच्चशिक्षा विभाग, संचालनालय, भोपाल की अधिसूचना क्रं./2564/0262/38-2/91 भोपाल, दिनांक 19.06.1991 द्वारा दिये गये निर्देश एवं नियमावली को अंगीकृत किये जाने के लिये विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,उक्त संदर्भ में प्रस्तुत है कि प्रयोगशाला परिचारकों को प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों पर पदोन्नत् किये जाने हेतु उच्चशिक्षा विभाग, संचालनालय, भोपाल के पत्र क्रं./4027/आउशि/संस्था./88 भोपाल, दिनांक 28.09.1988 एवं उच्चशिक्षा विभाग, संचालनालय, भोपाल की अधिसूचना क्रं./2564/0262/38-2/91 भोपाल, दिनांक 19.06.1991 द्वारा दिये गये निर्देश एवं नियमावली को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.15 राज्य शासन के सभी विभाग के समान संवर्गो के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने के संबंध में तृतीय समयमान वेतनमान योजना पर विचार।

सन्दर्भः- म.प्र.शासन,वित्त विभाग के परिपत्र क्रंमाक एफ 11-17/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रं एफ-81/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 11.6.2020 (प्रति संलग्न)

टिप्पणीः- उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत वर्ग को 'अ', 'ब' एवं 'स' गैर शिक्षकीय कर्मचारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति के आधार पर तथा दिनांक 1.7.2014 अथवा 30 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर पात्रतानुसार एवं शासन के नियमानुसार तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाना प्रस्तावित है। कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत वर्ग को 'अ', 'ब' एवं 'स' गैर शिक्षकीय कर्मचारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति के आधार पर तथा दिनांक 1.7.2014 अथवा 30 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर पात्रतानुसार एवं शासन के नियमानुसार तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाना मान्य

किया गया। (क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.16 डॉ. नयन तारा डामोर, सहायक प्राध्यापक, को पी-एच.डी. उपाधि धारित करने से अग्रिम वार्षिक वेतनवृद्धियां प्रदान करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

टिप्पणी:- उपरोक्त विषयान्तर्गत डॉ. नयन तारा डामोर को सहायक प्राध्यापक,पं.ज.ने.व्यवसाय प्रबंध संस्थान में दिनांक 23.11.2007 को नियुक्ति प्रदान की गई है। श्रीमती डामोर के द्वारा व्यवसाय प्रबंधन विषय में अधिनिसूचना क्रमांक/गोपनीय/शोध/2005/4488, दि. 26.8.2005 को पी-एच.डी. उपाधि प्रदाय की गई है।

पी-एच.डी. उपाधि धारित करने पर अग्रिम वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, के आदेश क्रमांक एफ-1-124-2010-1-38 भोपाल, दिनांक 16 अप्रेल, 2010 के बिन्दु क्रमांक 5(अ) के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्ति के समय संबंधित विषय में डी.लिट./डी.एससी./पी-एच.डी. तथा एफ.फिल. उपाधि धारकों को क्रमशः 5 तथा 3 अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी।

अतः उपरोक्त नियमानुसार डॉ. नयनतारा डामोर को पी-एच.डी. की उपाधि धारित करने के फलस्वरूप 5 अग्रिम वेतनवृद्धिया प्रदान करने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, प्रकरण विस्तृत टीप के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

बैठक के अन्त में सर्वसम्मति समस्त सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

22/2/21

कुलपति

प्रभारी कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्र. मांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/321 दिनांक :- 16.02.21

-:: शुद्धि पत्र ::-

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.01.2021 के कार्यविवरण में अध्यक्ष की अनुमति के अन्तर्गत विषय क्रमांक 12 में शिक्षकों को एजीपी स्टेज 1 से स्टेज 2 प्रदान करने के संबंध में सूची की क्रम संख्या 16 पर डॉ. राज बोरिया, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अ.शा. के सम्मुख टंकण त्रुटिवश अंकित तिथि 23.11.2012 के स्थान पर 23.11.2011 पढ़ा जाये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्र. मांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/322 दिनांक :- 16.02.21

प्रतिलिपि :-

01. माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,राजभवन,भोपाल।
02. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
03. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/762 दिनांक :-8/4/2021

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2021 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2021 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/763 **दिनांक :- 8/4/2021**

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

Dexto /Meeting 21/50

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अकादमिक/सम्मिलन/2021/ 741 दिनांक : 30.03.2021

कार्यपरिषद्
की
बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि : 24.03.2021
समय : मध्याह्न 11:30 बजे

:: उपस्थिति ::

01.	प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. सत्यनारायण शर्मा	सदस्य
03.	डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा	सदस्य
04.	डॉ. पी.के.वर्मा	सदस्य
05.	डॉ. दिनेश कुमार सोनी	सदस्य
06.	डॉ. गोविन्द गन्धे	सदस्य
07.	डॉ. आर.सी जाटवा (अतिरिक्त संचालक,उज्जैन संभाग)	सदस्य
08.	श्री राघवेन्द्र पाल सिंह यादव (सयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा)	सदस्य
09.	श्री राजेश सिंह कुशवाह	सदस्य
10.	श्री सचिन दवे	सदस्य
11.	सुश्री ममता बेंडवाल	सदस्य
12.	डॉ. विनोद यादव	सदस्य
13.	प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ. दीपक गुप्ता, ने संकायाध्यक्ष एवं कार्यपरिषद् की सदस्यता से दिनांक 23.02.2021 को त्याग पत्र प्रस्तुत किया है।

विषय क्रं.1 कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.01.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.01.2021 के कार्यविवरण में अध्यक्ष की अनुमति में विषय क्रमांक 15 में निम्नानुसार पढ़ा जाये,

''उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में कार्यरत वर्ग को 'अ', 'ब' एवं 'स' गैर शिक्षकीय कर्मचारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति के आधार पर तथा दिनांक 1.7.2014 से 30 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर पात्रतानुसार एवं शासन के नियमानुसार तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाना मान्य किया गया।''

शेष कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

विषय क्रं.2 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.03.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णयः- निर्णय लिया गया कि, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.03.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक संबद्धदता विभाग)**

विषय क्रं.3 शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधो के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।
(क्रियान्वयन - गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.4 बजट वित्तीय वर्ष 2020-2021 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2021-2022 के मूल वित्तीय अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2019-2020 के वास्तविक आय-व्यय पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,बजट वित्तीय वर्ष 2020-2021 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2021-2022 के मूल वित्तीय अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2019-2020 के वास्तविक आय-व्यय का अनुमोदन किया गया।
(क्रियान्वयन - लेखा विभाग)

विषय क्रं.5 विश्वविद्यालय के सत्र 2019-20 के 63 वें वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, विश्वविद्यालय के सत्र 2019-20 के 63 वें वार्षिक प्रतिवेदन की सूचना ग्राह्य की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक पीएच.डी विभाग)**

विषय क्रं.6 विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न्न संस्थाओं एवं अन्य विश्विविद्यालयों {01.Research for resurgence foundation,Nagpur एवं अश्विनी शोध एवं अनुसंधन संस्थान,महिदपुर,उज्जैन } के मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षरार्थ उपरांत कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, विश्वविद्यालय द्वारा अश्विनी शोध एवं अनुसंधान संस्थान,महिदपुर,उज्जैन के मध्य समझौते के आलेख पर हस्ताक्षर की सूचना ग्राह्य की गई एवं मान्य किया गया।
(क्रियान्वयन - विकास विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

विषय क्रं.1 श्री राजेश जायसवाल, ल.श्रे.लि., को 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर शासन के नियमानुसार हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा से छूट प्रदान करते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि दिए जाने पर विचार।

टिप्पणी :- श्री राजेश जायसवाल को विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/प्रशासन/सस्थापन/798, दिनांक 26.7.14 के द्वारा ल.श्रे.लि. के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त आदेश में श्री जायसवाल को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उर्त्तीण करने एवं कम्प्युटर ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। श्री जायसवाल की जन्म तिथी 04.12.1977 है तथा वे दिनांक 04.12.2017 को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के

आदेश दिनांक 16.1.92 के अनुसार वेतनवृद्धि की पात्रता आती है।
(म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 44 सी/3–6/31/3/1, दि. 16.1.92 के द्वारा "हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उर्त्तीण करने हेतु समय बढ़ाए जाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किए जाऐंगे, बल्कि जिनकी आयु 40 वर्ष है या उससे अधिक हो गई हो या भविष्य में हो जाए उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उर्त्तीण करने में छूट प्रदान की जाए एवं उनकी नियुक्ति नियमित की जाए।)
म.प्र. शासन, के नियम दि. 16.1.92 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत लघु श्रेणी लिपिकों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वेतनवृद्धि विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर पर प्रदान की गई है।
उक्त शासन के आदेश के परिपालन में पूर्व में भी अन्य कर्मचारियों को 40 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की गई है :–

1. श्री मुकेश डाबी, ल.श्रे.लि.
2. श्री मनोहर सिंह बैस, ल.श्रे.लि.
3. श्री विनोद दास, ल.श्रे.लि.
4. श्री मुकेश कदम, ल.श्रे.लि.
5. श्रीमती मीना आचार्य, ल.श्रे.लि.
6. श्रीमती पुष्पा यादव, ल.श्रे.लि.

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विगत कई वर्षो से म.प्र. शासन द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है तथा श्री राजेश जायसवाल द्वारा उनके अनुकम्पा नियुक्ति पत्र दि. 26.7.14 के अनुसार उन्होंने कम्प्युटर ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है तथा वे प्रशासन विभाग में कम्प्युटर टाईपिंग का कार्य कर रहे है।
अतः श्री राजेश जायसवाल, ल.श्रे.लि.,को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 44 सी/3–6/31/3/1, दि. 16.1.92 के नियम अनुसार श्री जायसवाल को दिनांक 4.12.2017 को 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वार्षिक वेतनवृद्धि दिए जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– **निर्णय लिया गया कि, प्रकरण विस्तृत टीप के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।**
(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.2 विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98वीं की बैठक के विषय क्रं. 07 पर लिए गए निर्णय को अंगीकृत करने के पर विचार।

टिप्पणी :– विश्वविद्यालय की समन्वय समिति की 89वीं बैठक दि. 25.6.2014 के विषय क्रं. 16 में विश्वविद्यालयीन अधिकारी, नियमित शिक्षक एवं कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते में वृद्धि कर राशि 500 के स्थान पर राशि रू. 1000/– माह जुलाई 2014 से भुगतान करने संबंधी निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के परिपालन में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की कार्यपरिषद की बैठक दि. 19.10.2012 के निर्णय क्रं. 12 एवं म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 1146/153/सी.सी क्रं. 12 एवं म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 1146/153/सी.सी/14/38 भोपाल, दि. 17.7.2014 के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रं/प्रशासन/संस्थापन/2014/998, दि. 12.4.2018 के द्वारा चिकित्सा भत्ता 500 के स्थान पर 1000/– रूपये के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय की समन्वय समिति की 98वीं बैठक दि. 21.2.2021 के विषय क्रं. 07 में विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते में वृद्धि कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

समन्वय समिति द्वारा चिकित्सा भत्ता रू. 2000/– किए जाने की सहमति दी गई। मेडिक्लेम पॉलिसी के संबंध में निर्णय लिया गया कि –

1. रू. 5 लाख का मेडिक्लेम कवर प्रदान किया जाये।
2. देय प्रीमियम का 25 प्रतिशत कर्मचारी द्वारा तथा 75 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।
3. सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाएँ एवं न्यूनतम प्रस्ताव के आधार पर कार्यावंटन किया जाए।
4. मेडिक्लेम व्यवस्था निम्न स्थितियों में लागू नहीं होगी :

a. केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना की पात्रता होने पर।
b. विश्वविद्यालय में संबंधित बीमारी के चिकित्सा देयकों के भुगतान **(reimbursement)** की व्यवस्था होने पर।

अतः प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98वीं की बैठक के विषय क्रं. 07 पर लिए गए निर्णय के अनुसरण में चिकित्सा भत्ता रूपये 2000/– किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.3 अंग्रेजी विषय में डॉ. सर्वपालसिंह राणा को डी.लिट् उपाधि प्रदान करने संबंधी कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, अंग्रेजी विषय में डॉ. सर्वपालसिंह राणा को डी.लिट् उपाधि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन – गोपनीय विभाग)**

विषय क्रं.4 स्वामी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय,मन्दसौर में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति से प्राप्त अनुशंसा पर अनुमोदन हेतु विचार।

टिप्पणी :– स्वामी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय,मन्दसौर में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु कुलपतिजी द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 12/02/2021 एवं महाविद्यालय सचिव से प्राप्त पत्र क्र.49/धारा 28/17/2021 दिनांक 05.03.2021 से प्राप्त अनुशंसा अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,स्वामी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय,मन्दसौर में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति से एवं महाविद्यालय शासीनिकाय से प्राप्त अनुशंसा अनुसार डॉ. सतीश कुमार को प्राचार्य पद हेतु मान्य किया गया। **(क्रियान्वयन – अकादमिक सम्मिलन विभाग)**

विषय क्रं.5 रूसा से प्राप्त अनुदान द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय में विभिन्न निर्माण तथा रिनोवेशन

एवं अप-ग्रेडेशन कार्यो हेतु स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की स्वीकृति अनुसार ई-निविदा आमंत्रित की गई थी, (पत्र संलग्न)

उक्त निविदाओं को उच्च क्रय समिति के समक्ष खोलने के पयचात् कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की कार्यकारी समिति द्वारा LI/न्यूनतम निविदाकार को सहमति/स्वीकृति प्रदान कर संलग्न क्र.-300/रूसा/2021, दिनांक 15.03.2021 द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय को सूचित किया गया।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव आगामी कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की कार्यकारी समिति द्वारा LI/न्यूनतम निविदाकार को प्रदान की गई सहमति/स्वीकृति अनुसार नियमानुसार कायदेश जारी करने की आगामी कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रं.6 कुलपति निवास परिसर में अतिथिगृह भवन निर्माण करने पर विचार।

टिप्पणी :- विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न निमार्ण/विस्तार निमार्ण कार्यो के लिए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.03.2018 एवं 24.03.2018 भवन समिति की बैठक दिनांक 17.05.2018, को स्वीकृति एवं अनुमोदन किया जा कर ई-टेंडरिंग के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें उक्त भवनों के निर्माण/विस्तार निर्माण कार्य हेतु मे. माहेश्वरी वाटर प्रुफिंग कम्पनी, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत 19.51% कम पीडब्ल्यूडी एसओआर. पर प्राप्त न्युतम दर को भवन समिति की बैठक दिनांक 03.10.2018 तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.12.2018 में स्वीकृत एवं अनुमोदित किया गया है।

उक्त कार्यो में कुलपति निवास परिसर में अतिथगृह भवन निर्माण भी किया जाना था,जिस हेतु राशि रू. 25.00 लाख स्वीकृत कि गई थी। उक्त अतिथिगृह भवन निर्माण स्थल पर हरे भरे वृक्ष व उन वृक्षों की सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुए निर्माण कार्य भूतल के स्थान पर कुलपति निवास भवन के प्रथम तल पर अतिथिगृह निर्माण कार्य प्रस्तावित है साथ ही कुलपति निवास में स्थित बाथरूम/टायलेट का रिनोवेशन/मरम्मत कार्य भी किया जना प्रस्तावित है। उक्त कार्य कार्यरत् ऐजेंसी से उसी अनुबंध के तहत् करवाया जावेगा। वर्तमान में उक्त अनुबंध के तहत कार्य प्रगति पर है। अतः प्रस्ताव आगामी कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन - यांत्रिकी विभाग)

विषय क्रं.7 कृषि अध्ययन मण्डल पॉच नवीन अध्यादेशों का निर्माण किया गया, एतद् कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ।

टिप्पणी :- कृषि अध्ययनमण्डल द्वारा पॉच नवीन अध्यादेश 01.बी.एससी (आनर्स)-एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फारेस्ट्री, फुड सांइस एण्ड टेक्नोलॉजी 02.एम.एससी.हार्टिकल्चर, 03.एम.

एससी.एग्रीकल्चर, 04.एम.एससी. फारेस्ट्री, 05.पी.जी.डी.ए. का निर्माण किया गया। विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2021 के निर्णय अनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, उपरोक्त प्रस्ताव समन्वय समिति के विचारार्थ प्रेषित किया जाये। **(क्रियान्वयन - अकादमिक सम्मिलन विभाग)**

विषय क्रं.8 विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णयः- निर्णय लिया गया कि, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन - अकादमिक संबद्धदता विभाग)

विषय क्रं.9 समन्वय समिति की 98वीं बैठक के कार्यवाही विवरण सूचनार्थ प्रषित।

निर्णयः- निर्णय लिया गया कि,समन्वय समिति की 98वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की सूचना ग्राह्य की गई।

विषय क्रं.10 विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्रावास भवन निर्माण,इंजीनियरिंग संस्थान का भवन विस्तार निर्माण, सांख्यिकी अध्ययनशाला भवन विस्तार निर्माण एवं छात्र छात्रावास के पीछे शेष बाउन्ड्रीवाल आदि भवन के नवनिर्मित/विस्तार निर्माण के साथ अतिरिक्त निर्माण कार्य जिसमें सांख्यिकी भवन विस्तार एवं छात्रावास भवन में विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए फेंसिंग, एप्रोच रोड आदि का निर्माण, अभियांत्रिकी संस्थान में पुराने भवन एवं नवनिर्मित भवन के मध्य रिक्त स्थान पर पेवर ब्लाक लगाया जाना तथा पुराने छात्रावास भवन के पीछे शेष बची विश्वविद्यालय बाउन्ड्रीवाल का निर्माण विश्वविद्यालय मद से करवाये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः- निर्णय लिया गया कि, उक्त प्रकरण पर विस्तृत टीप के साथ प्रतिवेदन अनुशंसा हेतु श्री राजेश सिंह कुशवाह, डॉ. विनोद यादव एवं डॉ. एच.पी. सिंह,आचार्य सांख्यिकी अ.शा. की समिति का गठन किया गया एवं समिति की अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया गया। **(क्रियान्वयन - यांत्रिकी विभाग)**

विषय क्रं.11 शारीरिक शिक्षा एवं खेल तदर्थ अध्ययनन मण्डल की बैठक दिनांक 23.03.2021में लिये गये निर्णय अनुसार बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में संचालित बी.पी.ई.एस. पाठ्यक्रम के अध्यादेश को अंगीकृत करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, उपरोक्त प्रस्ताव समन्वय समिति के विचारार्थ प्रेषित किया जाये। **(क्रियान्वयन - अकादमिक सम्मिलन विभाग)**

महाविद्यालयों के सम्बद्धता शुल्क पर विचार करने के लिये एक समिति के गठन हेतु माननीय कुलपतिजी से अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

30/3/21
कुलपति

30.3.2021
प्रभारी कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/ 477 दिनांक :-16/8/2021

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2021 के कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2021 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/ 478 दिनांक :-16/8/2021

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

Dextop/Meeting 21/50

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अकादमिक/सम्मिलन/2021/400 दिनांक :- 06-08-2021

कार्यपरिषद्
की
बैठक के संशोधित कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन,उज्जैन तिथि : 03 अगस्त 2021
समय : पूर्वाह्न 12:00 बजे

-:: उपस्थिति ::-

01.	प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा	सदस्य
03.	डॉ.(श्रीमती) दीपिका गुप्ता	सदस्य
04.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा	सदस्य
05.	डॉ. पी.के. वर्मा	सदस्य
06.	डॉ. दिनेश कुमार सोनी	सदस्य
07.	डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन	सदस्य
08.	डॉ. गोविन्द गन्धे	सदस्य
09.	डॉ. आर.सी. जाटवा (अति.संचालक,उज्जैन संभाग)	सदस्य
10.	श्री राघवेन्द्रपाल सिंह यादव (संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा)	सदस्य
11.	श्री राजेश सिंह कुशवाह	सदस्य
12.	श्री सचिन दवे	सदस्य
13.	सुश्री ममता बेंडवाल	सदस्य
14.	श्रीमती कुसुमलता निगवाल	सदस्य
15.	श्री संजय नाहर	सदस्य
16.	डॉ. प्रशांत पुराणिक	सदस्य

कार्यपरिषद् की बैठक प्रारंभ करने के पूर्व माननीय कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी द्वारा नवीन सदस्यों का स्वागत किया गया इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

विषय क्रं.1 कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2021 के कार्यविवरणों की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। (क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

निरंतर...02

विषय क्रं.2 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की ऑनलाईन बैठक दिनांक 18.05.2021,11.06.2021, 07.07.2021,20.07.2021 के कार्यविवरणों की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की ऑनलाईन बैठक दिनांक 18.05.2021,11.06.2021, 07.07.2021,20.07.2021 के कार्यविवरणों की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.3 शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन – गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.4 विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 09.07.2021 के कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 09.07.2021 के कार्य विवरण की पुष्टि की गई।

सम्माननीय कार्यपरिषद् सदस्य श्री राजेश सिंह कुशवाह द्वारा विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 09.07.2021 के विषय क्र.01 पर लिये गए निर्णय "विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय विभाग में उत्खनन प्रभारी के पद को पुनः सृजन किये जाने का प्रस्ताव मान्य किया गया।" पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय का पुरातत्व संग्रहालय पुरातात्विक धरोहर से संपन्न है वर्तमान में इसे स्मार्टसिटी से जोड़ने का भी प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष विचाराधीन है। संग्रहालय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुरातनकालीन मूर्तियां/शिलालेख/स्तंभ/पाण्डुलिपि आदि सामग्री का प्रचुर भण्डार है, इस देखते हुए संग्रहालय में उत्खन्न प्रभारी का होना अति आवश्यक है। अतः संग्रहालय के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु उत्खन्न प्रभारी के पद पर शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति की जावे तथा इस हेतु विश्वविद्यालय में ही कार्यरत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर आंतरिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जावे।

(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.5 अ.भा.जैन ज्ञानोदय शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति से प्राप्त पत्र में उल्लेखित विषय आचार्य विद्यासागर पीठ एवं शोध संस्थान की विक्रम विश्वविद्यालय में स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,अ.भा.जैन ज्ञानोदय शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति से प्राप्त पत्र में उल्लेखित विषय आचार्य विद्यासागर पीठ एवं शोध संस्थान की विक्रम विश्वविद्यालय में स्ववित्तीय प्रावधान के अन्तर्गत स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव मान्य किया गया। इससे विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय भार वहन नही करना होगा।

(क्रियान्वयन –विकास विभाग)

निरंतर...03

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

विषय क्रं.1 विद्यापरिषद् की ऑनलाईन वर्चुअल बैठक दिनांक 20.05.2021 के कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, विद्यापरिषद् की ऑनलाईन वर्चुअल बैठक दिनांक 20.05.2021 के कार्य विवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.2 विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी विनियमित करने के संबंध में माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति से प्राप्त अनुशसां कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

टीप :- कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8.09.2020 के विषय क्रमांक 14 पर लिये गये निर्णय के पालन में माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 27.07.2021 को आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा सूची में उल्लेखित दैनिक वेतन भोगी (कुशल एवं अकुशल) कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1/2013/1/3 दिनांक 07.10.2016 में दिये प्रावधानों अनुसार स्थाई कर्मी घोषित करने एवं स्थाई कर्मी होने पर आने वाले व्ययभार की गणना कर अनुशंसाए प्रस्तुत की है।

प्रतिवेदन अनुसार कुल 94 दैनिक वेतन कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों की पात्रता का परीक्षण गठित समिति द्वारा किया गया है। तद्नुसार प्रतिवेदन के पृष्ठ 2 बिन्दु A में स्पष्ट किया गया है कि क्रमांक 01 से 78 पर अंकित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शासन की स्थाईकर्मी योजना के अन्तर्गत स्थाईकर्मी घोषित करने की अनुशंसा की गई है। माननीय न्यायालय के अधीन जिन 10 दैनिक वेतन भोगी कुशल/अकुशल(क्रमांक 79 से 88 पर अंकित)कर्मचारियों की याचिका विचाराधीन है। उन्हे मा. न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन स्थाईकर्मी घोषित करने की अनुशंसा की गई है। क्रमांक 89 से 94 पर अंकित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दिनांक 01.09.2016 की स्थिति में कार्यरत नही रहे है, उनके संबंध में विधिक राय प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही समिति द्वारा स्थाईकर्मी होने पर आने वाले प्रतिमाह वित्तीय भार की गणना कर प्रस्तुत की गई है जो निम्नानुसार है :-

पद श्रेणी	संख्या	वेतन(दैनिक वेतन भोगी)	स्थाईकर्मी वेतन	अंतर	भार
कुशल	41	10635	12700	2065	84665
अकुशल	53	8400	10160	1760	93280

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1/2013/1/3 दिनांक 07.10.2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत संलग्न सूची अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी योजना के लाभ दिये जाने हेतु समिति से प्राप्त अनुशंसा कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, गठित समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई। वित्त संचालक कोष एवं लेखा के सुझाव तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ 5-1/ 2013/1/3,भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुसार कोई ऐरियर देय नहीं होगा।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

निरंतर...04

विषय क्रं.3 श्री राजेश जायसवाल लं.श्रे.लि. को 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर शासन के नियमानुसार हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा से छूट प्रदान करते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने पर विचार।

टीप :- श्री राजेश जायसवाल को विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/798,दिनांक 26.07.2014 के द्वारा ल.श्रे.लि. के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त आदेश में श्री जायसवाल को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है।

(मध्यप्रदेश शाासन,सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/44सी/3-6/31/3/1, दिनांक 16.01.1992 के द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु समय बढ़ाए जाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किए जाऐंगे, बल्कि जिनकी आयु 40 वर्ष है या उससे अधिक हो गई हो या भविष्य में हो जाए उन्हें हिन्दी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट प्रदान की जाए एवं उनकी नियुक्ति नियमित की जाए।)

मध्यप्रदेश शासन के नियम दिनांक 16.01.1992 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत ल.श्रे.लि. को 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वेतन वुद्धि विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर पर प्रदान की गई है।

उक्त शासन के आदेश के परिपालन में पूर्व में भी अन्य कर्मचारियों को 40

01. श्री मुकेश डाबी, ल.श्रे.लि.
02. श्री मनोहर सिंह बैस, ल.श्रे.लि.
03. श्री विनोद दास, ल.श्रे.लि.
04. श्री मुकेश कदम, ल.श्रे.लि.
05. श्रीमती मीना आचार्य, ल.श्रे.लि.
06. श्रीमती पुष्पा यादव, ल.श्रे.लि.

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विगत कई वर्षो से मध्यप्रदेश शसन द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है तथा श्री राजेश जायसवाल द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति पत्र दिनांक 26.07.2014 के अनुसार उन्होने कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर दिय गया है तथ्या वे प्रशासन विभाग में कम्प्यूटर टाईपिंग का कार्य संपादित कर रहे है। श्री जायसवाल की जन्म तिथी 04.12.1977 है तथा वे दिनांक 04.12.2017 को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है तथा मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 16.01.1992 के अनुसार वेतन वृद्धि की पात्रता आती है।

अतःश्री राजेश जायसवाल,ल.श्रे.लि.को मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/44सी/3-6/31/3/1,दिनांक 16.01.1992 के नियमानुसार श्री जायसवाल को दिनांक 04.12.2017 को 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, श्री राजेश जायसवाल,ल.श्रे.लि.को मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/44सी/3-6/31/3/1,दिनांक 16.01.1992 के नियमानुसार दिनांक 04.12.2017 को 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृती प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.4 NAAC हेतु गठित विश्वविद्यालय की विविध नीतियों के संबंध में विचार।

टीप :- उपर्युक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय में NAAC के निरीक्षण को दृष्टिगत रखते

निरंतर...05

हुए विश्वविद्यालय स्तर पर निम्न लिखित नितियों का निर्माण किया गया है :-

1. University IT Policy
2. University Environment Policy
3. University Gendar Policy
4. Cultural Policy

उक्त नीतियॉ कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विश्वविद्यालय में NAAC के निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर निम्न लिखित नितियों :-

1. University IT Policy
2. University Environment Policy
3. University Gendar Policy
4. Cultural Policy

का अनुमोदन किया गया। **(क्रियान्वयन - आई.क्यू.एस.सी. विभाग)**

विषय क्रं.5 भारत सरकार के शिक्षाा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 का प्रकाशन किया गया है। शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से भारत के सम्पूर्ण विश्वविद्यालय में लागू किया जाना है।

तद्नुसार राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 को विक्रम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अंगीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 को विक्रम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अंगीकृत किया गया। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.6 शारीरिक शिक्षा एवं खेल तदर्थ अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 19.07.2021 में लिये गये निर्णयानुसार एम.पी.ई.एस. पाठ्यक्रम सामान्य नियमों के साथ प्रारम्भ करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,शारीरिक शिक्षा एवं खेल तदर्थ अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 19.07.2021 में लिये गये निर्णयानुसार एम.पी.ई.एस. पाठ्यक्रम सामान्य नियमों के साथ प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.7 विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों श्री जावेद हुसैन सिनियर सिस्टम ऐनालिस्ट, डॉ.विष्णुकुमार सक्सेना सिस्टम इंजीनियर, श्रीमती शीला चौहान प्रोग्रामर एवं श्री ज्ञानेश श्रीवास्तव, साइंटिफीक आफिसर, के स्थाईकरण किये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार।

टीप :- विषयान्तर्गत उपरोक्त चारों तकनीकी अधिकारियों श्री जावेद हुसैन सिनियर सिस्टम ऐनालिस्ट, डॉ.विष्णुकुमार सक्सेना सिस्टम इंजीनियर, श्रीमती शीला चौहान प्रोग्रामर एवं श्री ज्ञानेश श्रीवास्तव साइंटिफीक आफिसर, द्वारा दिनांक 28.07.2021को स्थाईकरण किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उपरोक्त चारों अधिकारी वर्ष 2007 में सपोर्टींग स्टॉफ के अन्तर्गत चयनित किये गये थे।

क्रं. अधिकारी का नाम **कार्यग्रहण तिथि**

निरंतर...06

01. श्री जावेद हुसैन सिनियर सिस्टम ऐनालिस्ट, 15.01.2008
02. डॉ.विष्णुकुमार सक्सेना सिस्टम इंजीनियर, 23.11.2007
03. श्रीमती शीला चौहान प्रोग्रामर 13.12.2007
04. श्री ज्ञानेश श्रीवास्तव साइंटिफीक आफिसर, 08.01.2008

उपरोक्त तकनीकी अधिकारियों के उक्त पदों पर कार्यग्रहण तिथि से 02 वर्ष की अवधि (परिविक्षा अवधि) में किसी प्रकार की कोई जॉच आदी लम्बित नहीं है। अतः स्थाईकरण किये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,उपरोक्त चारों तकनीकी अधिकारियों क्रमशः

01. श्री जावेद हुसैन सिनियर सिस्टम ऐनालिस्ट,
02. डॉ.विष्णुकुमार सक्सेना सिस्टम इंजीनियर,
03. श्रीमती शीला चौहान प्रोग्रामर
04. श्री ज्ञानेश श्रीवास्तव साइंटिफीक आफिसर,

को उनकी कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त उक्त पदो पर स्थाईकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.8 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु शासन के नवीन नियमों के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया था उस पर कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा पुनः परीक्षण की मांग की गई अतः प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु शासन के नवीन नियमों के अनुसार तैयार किये गये रोस्टर के पुनः परीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गई :-

01.	श्री राजेश कुशवाह	अध्यक्ष
02.	श्री संजय नाहर	सदस्य
03.	संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा उज्जैन	सदस्य
04.	अतिरिक्त संचालक उ.शि. उज्जैन संभाग उज्जैन	सदस्य
05.	डॉ. कानिया मेडा,वरिष्ठ सहा.प्राध्यापक	सदस्य
06.	सहायक कुलसचिव प्रशासन	सचिव

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.9 कार्यपरिषद सदस्य डॉ. नरेन्द्र जैन द्वारा अध्ययन शाला में विधि विभाग में नियुक्ति कर विधि से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का विषय रखा।

निर्णय :- उक्त विषय के तारतम्य में यह स्वीकार किया गया कि शीघ्र ही विधि अध्ययनशाला में प्रति कालखण्ड के अनुसार आवश्यकतानुसार विद्वान शासन के नियमानुसार रखे जाये।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.10 माननीय कुलपति जी द्वारा ओपन बुक परीक्षा 2021 में वेबसाइट क्रेश होने एवं दूसरे चरण की परीक्षा MA II Sem तथा UG I, II तथा CBCS पाठ्यक्रम जिसमें 1,40,000 विद्यार्थी

निरंतर...07

परीक्षा में सम्मिलित थे के लिये म.प्र. शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन Crisp से कार्य करवाकर परीक्षा सरलता से पूर्ण कराने की जानकारी प्रदान की। इस क्रिस्प के कार्य कराने का अनुमोदन चाहा गया।

निर्णय :- उपरोक्त Online Open Book परीक्षा में तत्कालीन आवश्यकता बड़े सर्वर पर अनुभवी शासन के अधीन Crisp से कार्य कराने का अनुमोदन किया। साथ ही विद्यार्थियों को Mobile पर Digitel रूप की जानकारी Crisp के माध्यम से मिले इसलिये कार्यपरिषद सदस्यों के सम्मुख एक प्रस्तुतिकरण कुलसचिव क्रिस्प से कराये।

(क्रियान्वयन - परीक्षा विभाग/आनलाईन विभाग)

विषय क्रं.11 महामहिम राज्यपाल म.प्र.को सेवाधाम आश्रम ग्राम अम्बोदिया उज्जैन द्वारा प्रेषित पत्र से आ/सा/2021/191, दिनांक-06/07/2021 के पत्र अनुसार दिव्यांगो/बहुदिव्यांगो/मंदबुद्धि/असहाय व्यक्तियों के लियें बर्तन और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं हेतु राशि रूपये 250000/- की आर्थिक सहायता चाही गई है, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जानी है। विश्वविद्यालय के माध्यम से सामाजिक सरोकार एवं समाज के प्रति अनन्य उत्तरदायित्व के दृष्टिगत सेवाधाम द्वारा समाज के कमजोर वर्ग यथा बेसहारा महिलाओं वृद्ध एवं बच्चों की शिक्षा, जीवनयापन स्वास्थ्य के संबंध में कार्य किया जा रहा है। माननीय महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति मध्यप्रदेश द्वारा व्यक्तिगत रूप से आश्रम जाकर वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन किया जाकर आश्रम द्वारा समाज के कमजोर तबके वृद्ध महिला, दिव्यांग बच्चों के लिये किये गये कार्यो की प्रशंसा की गई है एवं सेवाधाम को आवश्यक सामग्री वितरित की गई। उक्त के तारतम्य में सेवाधाम आश्रम से प्राप्त पत्र क्र. -191, दिनांक 06.07.2021 कार्यपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत है। आश्रम के संस्थापक संचालन द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय को आश्रम की सुविधाओं की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता का निवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रकरण कार्यपरिषद के सम्मुख आश्रम को राशि रूपये 2,49,908/- प्रदान करने की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा दिव्यांगो/बहुदिव्यांगो/मंदबुद्धि, बच्चों/महिलाओं /वृद्धो के हेतु उपरोक्त सहायता महा. राज्यपाल एवं कुलाधिपति मध्यप्रदेश के हाथ वितरित किये जाने का सेवा का विशेषअवसर मानते हुए राशि रू. 250000/- प्रदान करने की स्वीकृति मान्य कर बजट पुनर्नियोजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

विषय क्रं.12 माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यपरिषद् सदस्य श्री राजेश सिंह कुशवाह द्वारा सुझाव दिया गया कि, जो अतिथि विद्वान वर्ष 2020-2021 में विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों में कार्यरत है,उनका आमंत्रण म.प्र.शासन के निर्धारित नियमानुसार सत्र 2021-2022 के लिए भी निरंतर किया जाये एवं योग्य विषय विद्वानों को आमंत्रण जारी किये जाने हेतु नवीन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जायें।

निर्णय :- निर्णय लिया कि कार्यपरिषद् सदस्य श्री राजेश सिंह कुशवाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुए जो अतिथि विद्वान वर्ष 2020-2021 में विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों में कार्यरत है,उनका आमंत्रण म.प्र.शासन के निर्धारित नियमानुसार सत्र 2021-2022 के लिए भी निरंतर किया जाये एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में. प्रारंभ किए गये नवीन पाठ्यक्रम एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार प्रति कालखण्ड के अनुसार योग्य अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया विधिवत संपन्न किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/ 1586 दिनांक :- 27/12/2021

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.10.2021 के कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.10.2021 का संशोधित कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/ 1587 दिनांक :- 27/12/2021

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2021/ 1168 दिनांक :- 01-11-2021

कार्यपरिषद्
की
बैठक का संशोधित कार्य विवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि : 27.10.2021
समय : पूर्वान्ह 12.00

-:: उपस्थिति ::-

01.	प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा	सदस्य
03.	डॉ.(श्रीमती) दीपिका गुप्ता	सदस्य
04.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा	सदस्य
05.	डॉ. पी.के. वर्मा	सदस्य
06.	डॉ. गोविन्द गन्धे	सदस्य
08.	डॉ. आर.सी. जाटवा (अति.संचालक,उज्जैन संभाग)	सदस्य
09.	सुश्री सुषमा ठाकुर (संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा)	सदस्य
10.	श्री राजेश सिंह कुशवाह	सदस्य
11.	श्री सचिन दवे	सदस्य
12.	श्री विनोद यादव	सदस्य
13.	सुश्री ममता बेंडवाल	सदस्य
14.	श्रीमती कुसुमलता निगवाल	सदस्य
15.	श्री संजय नाहर	सदस्य
16.	डॉ. प्रशांत पुराणिक	कुलसचिव एवं सचिव

विषय क्रं.1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2021 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.2- विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.08.2021 एवं 10.09.2021 के कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की ऑनलाईन बैठक दिनांक 28.08.2021 एवं 10.09.2021 के कार्यविवरणों की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

D:/meeting sastion/ECNew/

विषय क्रं.3– विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 10.08.2021,28.08.2021, 13.09.2021 एवं 21.10.2021 के कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 10.08.2021,28.08.2021, 13.09.2021 एवं 21.10.2021 के कार्य विवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन – विकास विभाग)

विषय क्रं.4– शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई 31 पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत 31 शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन – गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.5– समन्वय समिति की 99वीं बैठक के विषय क्र. 3 के निर्णय अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय में गोपनीय एवं परीक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को श्रमसाध्य भत्ते को अंगीकृत करने पर विचार।

टीप :– म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 687/112/सी. सी/21/38 भोपाल, दिनांक 06.09.2021 के साथ संलग्न विश्वविद्यालय समन्यय समिति की 99वीं बैठक के विषय क्रमांक 03 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–
समन्वय समिति द्वारा स्थायी समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया, जो निम्नानुसार है :–

(अ) मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में श्रमसाध्य/गोपनीय कार्यो में एकरूपता लाए जाने हेतु निम्नांकित दरों से वार्षिक परिश्रमिक दिये जाने की अनुशंसा की गई है :–

1. प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी – 40,000/– प्रतिववर्ष अधिकतम
2. तृतीय श्रेणी कर्मचारी – 30,000/– प्रतिववर्ष अधिकतम
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – 25,000/– प्रतिववर्ष अधिकतम

उपरोक्त पारिश्रमिक भत्तें दिये जाने हेतु निम्नांकित शर्तो को पूरा करना आवश्यक होगा–

1. परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में प्रश्न-पत्र, उत्तरपुस्तिका निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा संचालन एवं वाहन व्यवस्था, परीक्षा परिणाम, परीक्षा फार्म, डिग्री, माईग्रेशन तथा टेबूलेशन तैयार करने से संबंधित कार्य शामिल है। परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में कार्यरत पूर्णकालिक अधिकारी/कर्मचारियों को ही यह भत्ते देय होंगे।
2. पूरे एक वित्तीय वर्ष में पदस्थापना होने पर उपर्युक्त पारिश्रमिक भत्ता देय होगा, किन्तु यह भी कि किसी अधिकारी/कर्मचारी की वित्तीय वर्ष के मध्य में पदस्थापना होती है तो पदस्थापना अवधि की गणना आनुपातिक रूप से की जाकर उक्त भत्ता देय होगा।
3. उक्त पारिश्रमिक भत्ता दिये जाने के पश्चात अन्य किसी आधार पर दिये जाना वाला भत्ता (मंहगाई भत्ता, वाहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता को छोड़कर) देय नहीं होगा अर्थात् परीक्षा, गोपनीय कार्यो के श्रमसाध्य भत्ते के अलावा अन्य किसी प्रकार के विशेष भत्ते देय नहीं होंगे।

अतः विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 99वीं बैठक के निर्णय को अंगीकृत करते हुए परीक्षा/गोपनीय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वार्षिक पारिश्रमिक भत्ता प्रदान करने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(ब) समन्यय समिति की 99वीं बैठक के विषय क्रमांक 08 में कार्यपरिषद् के अशासकीय सदस्यों का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 5000 रू. प्रति बैठक करने की अनुशंसा की गई है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 99वीं बैठक के निर्णय "अ" एवं "ब" को अंगीकृत करते हुए परीक्षा/गोपनीय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वार्षिक पारिश्रमिक भत्ता प्रदान करने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद में अनुमोदन किया गया।

विषय क्रं.6– विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयों (01. M.P.Bhoj (Open) University,Bhopal , 02.Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain, 03. Bhilai Institute of Technology, Durg, Chhattisgarh, 04. Ujjain Engineering College, Ujjain) के मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षरार्थ उपरांत कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य विश्वविद्यालयोके मध्य समझोते के आलेख पर हस्ताक्षर की सूचना ग्राह्य की गई, एवं मान्य किया गया।

विषय क्रं.7– विक्रम कीर्ति मंदिर के किराये का निर्धारण पर विचार।

टीप :– क्षिप्रांजली न्यास जिसके अध्यक्ष संभागायुक्त महोदय एवं सचिव कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 10.09.2021 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयानुसार क्षिप्रांजली न्यास के विक्रमकीर्ति मंदिर विक्रम विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। जिसके परिपालन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन द्वारा विक्रमकीर्ति मंदिर भवन को विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को दिनांक 01.10.2021 को हस्तांतरित किया गया है। विक्रम कीर्ति मंदिर के आधिपत्य पश्चात् उक्त भवन का किराया निम्नानुसार निर्धारित किया गया–

क्र.	प्रार्थी संख्या	सभागृह आरक्षण शुल्क प्रतिदिन	सुरक्षा निधि राशि	कुल जमा राशि
01.	केवल शौक्षणिक,सामाजिक संस्थाओं एवं एन.जी.ओ. के लिए मान्य	11000.0	10000.00	21000.00
02.	जिला प्रशासन/शासकीय कार्य हेतु मांग अनुसार विद्युत एवं साफ–सफाई व्यय के आधार पर		4000.00 स्वच्छता एवं विद्युत व्यय	

अतः उपरोक्तानुसार निर्धारित किराया कार्य परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि क्षिप्रांजली न्यास जिसके अध्यक्ष संभागायुक्त महोदय एवं सचिव कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 10.09.2021 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयानुसार क्षिप्रांजली न्यास के विक्रमकीर्ति मंदिर विक्रम विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। जिसके परिपालन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन द्वारा विक्रमकीर्ति मंदिर भवन को विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को दिनांक 01.10.2021 को हस्तांतरित किया गया है, जिसका सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया। विक्रम कीर्ति मंदिर के आधिपत्य पश्चात् उक्त भवन का किराया निम्नानुसार निर्धारित किया गया–

क्र.	प्रार्थी संख्या	सभागृह शुल्क प्रतिदिन	स्वच्छता विद्युत राशि	सुरक्षा निधि	कुल राशि
01.	केवल शैक्षणिक, सामाजिक संस्थाएं एवं एन.जी.ओ. के लिए मान्य	4000.00	4000.0	10000.00 (*उपरोक्त में सुरक्षा निधि रू. 10000 वापसी योग्य*)	18000.00
02.	जिला प्रशासन/शासकीय कार्य हेतु मांग अनुसार		4000.00 विद्युत एवं साफ–सफाई		

निर्णय लिया गया कि विक्रम कीर्ति मंदिर भवन एवं विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था एवं साफ सफाई कार्य वर्तमान में श्री महाकालेश्वर मंदिर द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से दो माह के लिये कराये जाने का अनुमोदन किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा विक्रम कीर्ति मंदिर भवन एवं विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कार्य सैनिक कल्याण बोर्ड /आउट सोर्स के माध्यम से करवाए जाने की निविदा आमंत्रित कियेजाने की स्वीकृति प्रदान की गई। विक्रम कीर्ति मंदिर भवन साफ सफाई कार्य भी आउट सोर्स के माध्यम से करवाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रं.8– विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में SAMRAT VIKRAMADITYA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND RESEARCH चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने के संबंध में जानकारी सूचनार्थ।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने संबंधि शासन को प्रदान की जाने वाली विभिन्न जानकारियों को कार्य परिषद सदस्यों के सम्मुख रखा गया।

विषय क्रं.9– अधिवक्ताओं की पेनल का अनुमोदन हेतु (माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में अधिवक्ताओं के आवंटन संबंधी)

टीप :– विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित 127 विधिक प्रकरणों में से कुछ प्रकरण अंतिम सुनवाई में है। जिसमें विश्वविद्यालय क पक्ष प्रभावी रूप से संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा नहीं रख पाने के कारण काफी लम्बे समय से लंबित है। अतः विभिन्न प्रकरणों में अधिवक्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय का पक्ष प्रभावी रूप से रखने से प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो जायेगा। इस हेतु निम्नाकिंत अधिवक्ताओं की पेनल प्रस्तावित हैः–

01.श्री गिरीश पटवर्द्धन	02.श्री मधुसूदन द्विवेदी
03.श्री संदीप मेहता	04.श्री आशीष उपाध्याय
05.श्री अनुराग बेजल	06.श्री अजय मिश्रा
07.श्री श्रेय राज सक्सेना	08.श्री यश तिवारी
09.श्री शान्तनु शर्मा	

उक्त पेनल कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के पेनल के अनुमोदन में कार्यपरिषद सदस्य सचिन दवे एवं श्री राजेशसिंह कुशवाह ने कहा कि उपरोक्त पेनलों में कुछ संशोधन कर विचार किया जाना आवश्यक है। अतः अधिवक्ताओं के नामों के पेनल बनाने के लिए कार्यपरिषद सदस्य एडव्होंकेट श्री संजय नाहर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें श्री सचिन दवे, सुश्री ममता बेंडवाल, भी सदस्य रूप में कार्य करेंगे यह समिति 15 दिन में अधिवक्ताओं के पेनल प्रस्तुत करेंगे।

(क्रियान्वयन – गठित समिति)

विषय क्रं.10–छात्रवृत्ति को Centralize करने पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि छात्रवृत्ति को केन्द्रिकृत करने पर कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा एकमत से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव के अधीन छात्रवृत्ति का कार्य अनुभवी कर्मचारियों से कराया जाये, अध्ययनशालाओं से समस्त जानकारी वेरीफाइड होकर विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति विभाग को प्रस्तुत की जावेगी। जहाँ से जानकारी संबंधित विभाग को अपलोड की जावेगी। **(क्रियान्वयन – कुलसचिव)**

विषय क्रं.11–रोस्टर संबंधी आपत्ति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नवीन अधिसूचना अनुसार विज्ञापन में संशोधन पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा रोस्टर संबंधि आपत्ति पर गठित समिति के निर्णय "प्रक्रिया में त्रुटि है" पर विचार किया, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र के अनुसार भी रोस्टर का परिक्षण किये जाने का निर्देश है। अतः समिति द्वारा विश्वविद्यालय के जारी "बैकलॉक पद के विज्ञापन" को निरस्त कर विसंगति को दूर करने के लिए पुर्नपरीक्षण का कार्य कार्यपरिषद सदस्य श्री राजेशसिंह कुशवाह, अतिरिक्त संचालक डॉ. आर. सी. जाटवा, श्री संजय नाहर, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, डॉ. सुषमा सैय्याम तथा सहायक कुलसचिव प्रशासन की समिति गठित कर किये जाने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रं.12–विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु विद्वानों को आमंत्रित करना

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि कृषि विज्ञान, रसायन, प्रबंधन, विधि, ललित कला, भाषा विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा के नवीन पाठ्यक्रमों हेतु अध्यापन विजिटिंग विद्वानों को रू. 500/– प्रति कांलांश के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम रू. 1500/– के अनुसार आमंत्रित किया जाय।

(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.13–विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की गंभीर बीमारी के उपचार में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।

टीप :– उपरोक्त विषय में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/98/2082, दिनांक 18.10.1998 के द्वारा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.9.1998 के निर्णय अनुसार हृदय की बायपास सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, केंसर और डायलेसिस जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हास्पीटिलायजेशन होने पर व्यय की प्रतिपूर्ति शासन के नियमानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकों के गंभीर बीमारी होने पर प्रकरणों का विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णय अनुसार एवं म.प्र. शासन,चिकित्सा शिक्षा के आदेशानुसार परीक्षण कर अनुशंसा दिए जाने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की बैठक दि. 23.9.2021 में की गई अनुंशसा कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, विषय क्रमांक 12 में डायलेसिस को छोड़कर शेष प्रतिपूर्ति शासन के नियमानुसार किए जाने का अनुमोदन किया गया।

(क्रियान्वयन – प्रशासन विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

विषय क्रं.1– विश्वविद्यालय में कार्यरत स्थाईकर्मी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्ता प्रदान करने पर विचार।

टीप :– मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.अक्टुबर 2016 के आदेश के परिपालन में विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत देनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी घोषित किया गया। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल एवं राजीवगांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद के निर्णय उपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत स्थाईकर्मीयों को चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कार्यरत स्थाईकर्मी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्ता प्रदान करने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, उक्त विषय में परीक्षण कर आगामी कार्यपरिषद की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावें।

विषय क्रं.2– विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा आयोजित किये जाने वाले 25 वे दीक्षांत समारोह के आयोजन पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि 22 दिसम्बर 2021 को आयोजित किया जाने का पत्र मा. कुलाधिपतिजी कार्यालय से प्राप्त हुआ है। तदनुसार कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रं.3– विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 05.10.2021 एवं 25.10.2021 से प्राप्त निम्नांकित 14 एवं 04 प्रकरणों पर अनुशंसा कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की।

14 प्रकरण निम्नानुसार है–

1. श्री दुर्गेश सौलंकी पुत्र स्व. श्री मदन लाल सौलंकी
2. श्री उमेश करारे पुत्र स्व. श्री जयनारायण करारे
3. श्रीमति कलाबाई पत्नि स्व. श्री हरिशंकर वासेन
4. श्री अभिषेक देशपाण्डे पुत्र स्व. श्रीमती जयश्री देशपाण्डे
5. श्री अनिल मालवीय पुत्र स्व. श्री नगजीराम मालवीय
6. श्री कौशिक शेखावत पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह शेखावत
7. श्रीमती शर्मिला पुत्री श्रीमती रंगुबाई
8. श्री दीपिका चौहान बहन स्व. श्री सतीश चौहान
9. श्री हरिश परमार पुत्र स्व. श्री जग्गु परमार
10. श्री राहुल मालवीय पिता स्व. श्री बद्रीलालजी मालवीय
11. श्री संजय मालवीय पिता स्व. श्री हुकुमचंद मालवीय

निम्न 3 प्रकरण माधव कला महाविद्यालय उज्जैन एवं माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन से प्राप्त हुए है–

12. श्री सागर मालवीय स्व. श्री संतोष मालवीय
13. संजय पाल पिता स्व. श्री रामकिशोर पाल
14. मनीषा मालवीय पिता स्व.श्री बनेसिंह मालवीय

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में–

(अ) गठित समिति की बैठक दिनांक 05.10.2021 के कोरोना से ग्रसित अन्य अनुकम्पा के दो प्रकरणों 1. श्रीमति पूजा श्रीवास पति श्री जितेन्द्र श्रीवास
2. सचिन वर्मा पिता स्व. श्री पन्नालाल वर्मा का नियुक्ति दी जाने का अनुमोदन किया गया।

(ब.) गठित समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितोंको अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति की अनुसंशा में से 14 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों पर नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं शेष 03 प्रकरणों में शपथ पत्र प्राप्त कर समिति में निर्णय के पश्चात कार्यवाही की जावें अनुमोदित किया गया।

विषय क्रं.4– विश्वविद्यालय के शासकीय आवासगृहों के किराए में वृद्धि के संबंध में विचार।

टीप :– उपरोक्त विषय में म.प्र. शासन, गृह (सामान्य) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 01–25/2013/दो–ए(3) भोपाल, दिनांक 11.09.2014 के द्वारा शासकीय आवासगृहों के लायसेंस शुल्क (किराए वसूली) की दरें दि. 01.10.2014 से निर्धारित की गई है। उक्त आदेश के परिपालन में विक्रम विश्वविद्यालय, आवासगृहों की किराए दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाना है :–

क्रं.	आवास श्रेणी	(मूलभूत नियम 45 ए के अधीन) मासिक किराया
1.	डी–टाईप	1800
2.	ई–टाईप	1500

3.	एफ–टाईप	900
4.	जी–टाईप	600
5.	एच–टाईप	300
6.	एम 1–टाईप	1800
7.	एम 2–टाईप	900
8.	बी–टाईप	600
9.	आई–टाईप	100

उपरोक्त समस्त आवासगृहों में जलकर उज्जैन नगर निगम द्वारा रूपयें 120/– प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

अतः म.प्र. शासन, गृह (सामान्य) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 01–25/2013/दो–ए(3) भोपाल, दिनांक 11.09.2014 के आदेश को अंगीकृत करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन स्थित शासकीय आवासगृहों के किराए में वृद्धि करने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्त आवास किराया दरों का अनुमोदन कर निर्णय लिया गया कि शासन के नियमानुसार बाहरी कर्मचारियों की सूची तैयार कर बाजार दर पर किराया लिये जाने की कार्यवाही करें।

विषय क्रं.5– माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन के प्राध्यापक डॉ. जफर मेहमूद के संबध में जानकारी

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन के प्राध्यापक डॉ. जफर मेहमूद के संबध में जानकारी शासन को भेजे जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रं.6– विश्वविद्यालय पुरातत्व संग्रहालय विभाग में उत्खनन प्रभारी के पद पर चयन हेतु आंतरिक चयन समिति की अनुशंसा का सील बंद लिफाफा खोले जाने पर विचार।

निर्णय :– विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की कार्यपरिषद की बैठक दि. 03.08.2021 के विषय क्रं. 04 के अन्तर्गत विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 9.7.2021 के विषय क्रं. 01 में लिये गये निर्णय कि विश्वविद्यालय पुरातत्व संग्रहालय विभाग में उत्खनन प्रभारी के पद को पुनः सृजित किया जावें एवं विश्वविद्यालय में ही कार्यरत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर आंतरिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किये जाने को मान्य किया गया। कार्यपरिषद के उक्त लिये गये निर्णय के परिपालन में गठित आंतरिक चयन समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 द्वारा बंद लिफाफे में अनुशंसा प्रदान की गई। कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.10.2021 में आंतरिक चयन समिति के सदस्य होने के कारण दो सदस्यों डॉ.. आर.सी. जाटवा एवं डॉ. शैलेन्द्र शर्मा की पूर्व स्वीकृति के साथ अनुशंसा को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.10. 2021 द्वारा मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 09.07.2021 की अनुशंसानुसार उत्खनन प्रभारी के पद को उपलब्ध पदानुक्रम में पद सम्मिलित करते हुए सृजित किया जावे तथा गठित आंतरिक चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार कार्यपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. रमण सोलंकी, सहायक म्यूजियम कीपर, उत्खनन विभाग को विक्रम विश्वविद्यालय के प्रा.भा.इ.सं.एवं पुरातत्व अध्ययनशाला के पुरातत्व संग्रहालय के उत्खनन प्रभारी के रिक्त पद पर वेतनमान 15600–39100+एजीपी 5400 (लेवल क्रं. 12 सातवें वेतनमान) में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्त के साथ 51 कर्मचारियों के विषय पर भी चर्चा की गई।

जिला पुरातत्व संघ संग्रहालय में मार्गदर्शक के पद पर कार्यरत डॉ. रमण सोलंकी एवं जिला शिक्षा केन्द्र उज्जैन में जेन्डर समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे श्री मनीष दुबे को कार्यपरिषद द्वारा कलेक्टर उज्जैन को लिखे पत्र के पश्चात् कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 3980 दिनांक 21.3.2006 के आधार पर कार्यपरिषद की बैठक दि. 23.01.2006 के बिन्दु क्रमांक 11 में नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। उक्त दो कर्मचारियों एवं विश्वविद्यालय में नियुक्त अनुकम्पा से नियुक्त कर्मचारियों को 51 कर्मचारियों के नियुक्ति प्रकरण से बाहर करने का निवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष किये जाने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रं.7– विश्वविद्यालयों में नियमित एवं स्थाई रूप से कार्यरत शिक्षकों /अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय के नियमित एवं स्ववित्त पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क में की मुक्ति पर विचार किया गया। वर्तमान में कार्यपरिषद की बैठक दि. 30.04.2011 के निर्णय में निम्नानुसार मुक्ति प्रदान है–

1. प्रथम श्रेणी कर्मचारी एवं समस्त शिक्षक वर्ग – निर्धारित शुल्क की कुल राशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा।
2. द्वितीय श्रेणी कर्मचारी – निर्धारित शुल्क की कुल राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा
3. तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी – कोई शुल्क जमा नही करना होगा।

निर्णय :– निर्णय लिया गया।कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिये शुल्क मुक्ति हेतु अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर आगामी बैठक में विषय रखा जाय।

अंत में कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त कर किया गया।

01.11.21
कुलसचिव

1/11/21
कुलपति